भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2670
बुधवार, 11 अगस्त, 2021/20 श्रावण, 1943 (शक)

श्रमबल में महिलाओं को कम भागीदारी

2670. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने 'आईएलओज़ ग्लोबल इम्पलायमेंट ट्रेंड' नामक अपनी रिपोर्ट में यह पाया है कि, भारत में, पिछलें कुल वर्षों में महिला श्रम बल की भागीदारी में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी की दर की बढ़ाने के लिए सरकार क्या अग्र-सक्रिय कदम उठाने का विचार रखती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की 'विश्व रोजगार एवं सामाजिक आऊटलुकः रूझान 2021', शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 एवं 2020 में समग्र रूप से दक्षिण एशिया में महिलाओं की अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) क्रमशः 23.3% एवं 21.0% थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) क्रमशः 24.5% एवं 30.0% हैं।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनकी रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं।

खुली खदान सहित भूमि के ऊपरी खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और जमीन के नीचे की खदानों में तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी गई है जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो।

सामान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है। यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****